

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वन मंडल अनूपपुर के वन परिक्षेत्र कोतमा के विभिन्न वनकक्षों के रकबा 314.743 हेक्टेयर वनभूमि एवं ग्राम फुलकोना, डूमरकछार तथा भलमुडी के विभिन्न खसरो के रकबा 39.515 हे. राजस्व वनभूमि कुल 354.258 हेक्टेयर वनभूमि में झिरिया वेस्ट ओपन कास्ट पद्धति से कोयला उत्खनन कार्य करने की मेसर्स एस.ई.सी.एल. को अनुमति देने की अनुशंसा निम्नानुसार की जाती है:- वन मंडल अनूपपुर के प्रस्तावित रकबा 354.258 हेक्टेयर वन क्षेत्र में से वन कक्ष क्रमांक 492 रकबा 1.734 हेक्टेयर, कक्ष क्रमांक 493 रकबा 2.437 हेक्टेयर, कक्ष क्रमांक 498 रकबा 1.396 हेक्टेयर तथा कक्ष क्रमांक 502 रकबा 1.576 हेक्टेयर कुल रकबा 7.143 हेक्टेयर वन क्षेत्र खनन से मुक्त रखने व इस वनक्षेत्र को सेपटी जोन क्षेत्र के रूप में उपयोग करने तथा शेष वनक्षेत्र 343.874 हेक्टेयर कोयला उत्खनन एवं 3.241 हेक्टेयर रोड निर्माण के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

दिनांक: 14.08.2020

स्थान: भोपाल

(एच.एस.सी.हन्ता)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

(एच.एस. मोहन्ता)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)